न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 56/22

GCMS NO 2022/105

हल्की बेवा घसिया जाति मीना निवासी मौगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रघुवीर
2. रमेश
3. खिलाडी
4. जालिम पुत्रान बद्री जातियान मीना निवासीयान मौगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 20/21 निर्णय दिनांक 20.7.22 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल)

अभिभाषक अपीला0 श्री अब्दुल लतीफ

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 28.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.7.22 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 290,319,323,351 कुल किता 4 कुल रकबा 1.6694 है0 ग्राम मौगेपुरा पटवार हल्का मौगेपुरा तहसील मण्डरायल मे स्थित है। सायलान व गैरसायल संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिसमे सायलान का 1/4 हिस्सा है गैरसायल 1 व 2 का 1/4 हिस्स है गैर सायल न0 3 का 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात का सायल व गैरसायलान के मध्य विधिवत बंटवारा नही हुआ है। संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है। सायलान ने दिनांक 26.7.21 को गैरसायलान न0 1 ता 3 से सायलान के 1/4 हिस्से का बंटवारा कराने की कहॉ तो गैरसायलान न0 1 ता 3 ने साफ इंकार कर दिया तथा बिना बंटवारा कराये भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी गई। सायल द्वारा ऐसा नही करने की प्रार्थना करने पर झगडा करने पर आमादा हो गये तथा अवैध निर्माण करने की धमकी दी गई। इस कारण सायल का यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ। सायलान अपने 1/4 हिस्से को गैर सायलान 1 ता 3 से बंटवारा करा गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। दावे के निर्णय से पहले यदि दावा गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्ति को रहन व बय कर दिया तो मुकदमे वाजी बढेगी काश्त मे व्यवधान पैदा होगा। जिससे सायल को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

होगी। इसलिए गैरसायलान को ताफैसला दाव पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरण की किसी भी रिती से रहन व बय नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल का प्रार्थना पत्र एवं गैरसायल न0 1 व 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के बाबत उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायला न0 3 हल्की द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। निर्णय पूर्णतया आर्वाट्रेरी है विवादित आराजीयात मे अपीलांट प्रतिवादी न0 3 का 1/2 हक व हिस्सा है। विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होते हुए भी सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने सही विवेचन किये वगैर पारित करने मे विधि की भारी भूल की है। इसलिए निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादी न0 3 ने विवादित जमीन मे मौके पर अपने 1/2 हिस्से को बाहमी बंटवारे अनुसार अपने स्व0पति घसिया के समय से ही काश्त करती चली आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम नामा0 नही खुला है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड की यथारिथति यथावत रहने से अपने जमीन के उचित लाभ से बंचित हो जावेगी तथा नामा0 नही खुल पायेगा। इस तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करके सही विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात प्रार्थीयां की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे अपीलांट का 1/2 हक व हिस्सा है। सायलान व गैरसायल न0 1 व 2 यानि रेस्पो0 आपस मे साज किये हुए है और मुझ अपीलांट औरत जात विधवा को तंग व परेशान कर अपीलांट के हक व हिस्से की जमीन को हडपना चाहते है। तथा दावे की आड मे तंग करना चाहते है। सहखातेदार को अपने हिस्से की जमीन को विक्रय करने का रहन बय करने का पूर्ण अधिकार है। जिसका अधिनस्थ न्यायालय ने सही विवेचन किये वगैर निर्णय पारित करने मे विधि की भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी समय पर नही होने के कारण अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद पेश है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर अपील पेश करने मे विलम्ब नही किया गया है। जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी ख0न0 290,319,323,351 कुल किता 4 कुल रकबा 1.669 [illegible] ग्राम मौगेपुरा पटवार हल्का मौगेपुरा तहसील मण्डरायल मे स्थित है। जो संयुक्त खातेदारी [illegible] काश्त की है। जिसमे सायलान का 1/4 हिस्सा है गैरसायल 1 व 2 का 1/4 हिस्सा और सायल न0 3 का 1/2 हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नही हुआ है। संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है। बिना विधिवत बंटवारा कराये ही गैरसायलान न0 1 ता 3 भूमि को दीगर व्यक्तियो को रहन बय करने की धमकी दिये जाने के कारण एवं सायल/अपीलांट अपनी भूमि का अलग खाता कायम कराने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 की सहखातेदारी की आराजीयात है। जिसमे अपीलांट के पिते घसिया पुत्र अंगद का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा गैरसायलान/रेस्पो0 संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। जो जमाबंदी सम्वत 2076–79 से स्पष्ट है। राजस्व रिकार्ड मे भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भी स्पष्ट है कि आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। पक्षकारान के मध्य बंटवारे के संबंध मे सदभावी विवाद है। गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बहामी बंटवारा 30–40 वर्ष पूर्व होना बताया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बाबत ताफैसला दावा मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति की आदेश विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया है। जिससे अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति एवं असुविधा होना प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के प्रकरण संख्या 20/21 मे पारित निर्णय दिनांक 20.7.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.3.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested